न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–598/2026</u>
उत्पन्न मधेपुरा (महिला) थाना कांड संख्या :–10/2026

1. मो0 आयूब आलम उम्र लगभग 60 वर्ष, पिता–स्व0 मो0 जलील मरहुम
साकिन–सपरदह, वार्ड नं0–8, थाना–पुरैनी, जिला–मधेपुरा।
–आवेदक/अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार — विपक्षी

अग्रिम जमानत आदेश

06–07–2026

अभियुक्त मो0 आयूब आलम का अग्रिम जमानत आवेदन जो मधेपुरा(महिला) थाना कांड संख्य–10/2026 के अन्तर्गत धारा– 85, 126(2), 115(2), 3(5) बी0एन0एस0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 से संबंधित है, विद्वान अधिवक्ता श्री दिलिप कुमार सिन्हा द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है जिन्होने ऐसा कोई घटना कारित नहीं है। सूचिका द्वारा दबाव डालने हेतु आवेदक का नाम प्राथमिकी में दिया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। सूचिका का पति जो एक बेरोजगार व्यक्ति है को 11 लाख उपहार तथा 7 लाख नगदी देने का कोई प्रश्न ही नही होता जबकि लड़की का पिता मजदूरी करता है। यह सारे आरोप झूठे बेबुनियादी एंव काल्पनिक है। मुस्लिम कानून मे शौहर दहेज नहीं लेते बल्कि वधु को देनमुहर रूपया दिया जाता है। आवेदक सूचिका का ससुर है जिसके विरूद्व धारा–85 बी0एन0एस0 के अंतर्गत दहेज अधि0 का कोई अभियोग नहीं बनता है। विद्वान अधिवक्त का कहना है कि सूचिका शादी से पूर्व दूसरे लड़के को पसंद करती थी परंतु उनके अब्बा द्वारा मो0 जाबिर से जबरन निकाह करवा दिया गया जिसे वह पसंद भी नहीं करती और शादी के 2–4 दिन बाद ही बोलने लगी कि शादी में जो खर्चा किया उसे वापस कर दो नही तो तुमलोगो पर झूठा दहेज एवं प्रताड़ित करने का केस कर दूँगी जिस कारण मो0 आयूब दिनांक 07.11.25 को अपर मुख्य न्या0 दण्डा0 उदा0 के न्यायालय में सनहा आवेदन सूचिका तथा उसके परिवार के विरूद्व आवेदन सं0–1013/25 दाखिल किये। सूचिका को उसके पति ने ससुराल जाने हेतु काफी समझाने की कोशिश की परंतु वह बोली कि तुमको पति कबूल नहीं करती हूँ तथा सास ससुर भी बिदागरी करने से मना कर दिया। परिवार न्यायालय मधेपुरा में विदागरी का मुकदमा मेट्रोमोनियल केस सं0–58/25 में तारीख पर दिनांक 07.03.26 को सूचिका बदमाश को लेकर आई और न्यायालय परिसर के बाहर सड़क पर पति को गाली गलौज दी तथा बदमाश से पिटवाई जिसपर आवेदक ने थाना में आवेदन दिया जिसके आधार पर कांड सं0–266/26 दर्ज हुआ। जानकारी पर सूचिका ने भी दिनांक 09.03.26 को मधेपुरा महिला थाना में झूठा आवेदन देकर आवेदक मो0 जाबिर तथा परिवार वाले पर प्राथमिकी दर्ज करवा दिया। आवेदक वृद्ध व्यक्ति है तथा न्यायालय के सभी आदेशों का अक्षरसः पालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाय।

–लगातार

न्यायालय :— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :—598 / 2026
उत्पन्न मधेपुरा (महिला) थाना कांड संख्या :—10 / 2026

लगातार
06—07—26

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया

अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 09.08.25 को सूचिका गजाला प्रवीण की शादी जाबीर के साथ मुस्लिम रीति— रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी में सूचिका के पिता ने ग्यारह लाख रूपया मूल्य का समान तथा सात लाख रूपया सलामी देकर ससुराल रू खसत किया। पुनः स्कोर्पियो दहेज के रूप में सूचिका का पति एवं ससुराल वालों द्वारा मॉगा जाने लगा जिसे नहीं देने पर सूचिका को घर से निकाल या भगा दिया। इसपर पंचायती हुई परंतु ससुराल वाले नहीं माने तो दहेज प्रथा अधि0 का केस बडहरा थाना में करने गई लेकिन ससुराल वालों ने समझौता कराकर रोक दिया। छल करके सूचिका के पति ने परिवार न्यायालय मधेपुरा में विदागरी का केस नं0—एम—58 / 26 दाखिल कर दिया जिसका मोकर्रर 07.03.26 बजरिये नोटिस मिला। उक्त तिथि पर सूचिका, पिता मो0 इजहार तथा स्कोर्पियो मालिक एव सहचालक अजमुल होदा एवं अधिवक्ता के साथ वकालतन हाजिरी लगाई, कोर्ट नहीं था इसलिए 12:30 बजे कोर्ट से निकलकर स्कोर्पिया के पास जा रही थी कि न्यायालय परिसर में पहले से घ ात लगाकर सूचिका के पति एवं अन्य 7—8 व्यक्ति सूचिका को उसके पति जाबिर तथा मो0 शकिर, ससुर मो0 अयुब, मो0 अफजल तथा 5—6 अज्ञात पंजिया कर पकड़ लिया तथा अपने कब्जे में लेकर अन्यत्र जगह हत्या करने के साजिश से ले जाने लगा जिसका विरोध करने पर गॉव से गाड़ी पर आए तमाम साथी इस अपहरण का विरोध किया तथा सैकड़ो जनता के सहयोग से मुक्त हुई। पुलिस गाड़ी को आता देख वह सभी लोग भाग गये जिसके बाद पुलिस व पब्लिक सूचिका को स्कॉर्पिया पर बैठाकर अपने घर भेजा। इस घटना से हम सभी भयग्रस्त हो गये।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा—85, 126(2), 115(2), 3(5) बी0एन0एस0 एवं 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि0 के अन्तर्गत दर्ज की गई है। आवेदक के विरूद्व अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर न्यायालय परिसर से निकलने के दौरान जबरन अपने कब्जे में लेकर अन्यत्र ले जाने का प्रयास करने तथा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का अभियोग है। कांड दैनिकी के पारा—02, 06 एवं 07 में सूचिका तथा साक्षियों का बयान है जिसमें घटना का समर्थन किया गया है। परंतु उक्त तथ्यों के बावजूद अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्षों के बीच पूर्व से ही मुकदमा व विवाद है। आवेदक सूचिका का ससुर है। कांड दैनिकी के पारा—37 एवं 41 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नही है तथा पुलिस द्वारा धारा—35(3) बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए बंधपत्र पर आवेदक को मुक्त किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितयों को देखते हुए आवेदक को मो0 20,000 / —रू0 के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध—पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि वे आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर संबंधित न्यायालय में गिरफ्तारी अथवा आत्म—समर्पण की स्थिति में धारा—482(2) बी0एन0एस0एस0 का अंडर टेकिंग न्यायालय के संतुष्टि के आलोक में बंध—पत्र दाखिल करेंगे तथा आवेदक कांड के अनुसंधान तथा वाद विचारण में निरंतर सहयोग करेंगे।

लेखापित

Satish Kumar
06.07.26

(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0—2, मधेपुरा।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा